

राजस्थान विधान सभा
द्वितीय सत्र
कार्य-सूची
गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ओटाराम, सदस्य, विधान सभा, राज्य सरकार के भूतपूर्व सैनिकों को संविदा पर नियुक्ति देने के आदेश की पालना में की गई कथित अनियमितता के संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

I- श्री मेवाराम जैन, सदस्य, विधान सभा, जिला मुख्यालय-बाड़मेर में बढ़ते यातायात के फलस्वरूप चौहटन रोड रेलवे फाटक पर अण्डर ब्रिज स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

II- श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, किशनगढ़ स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गत 10-12 वर्षों से स्व-वित्तपोषी योजनान्तर्गत वैकल्पिक विषयों में अध्यापन कार्य हेतु आवश्यक व्याख्याता पदों के आवंटन की स्वीकृति शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 में कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

III- सुश्री कीर्तिकुमारी, सदस्य, विधान सभा, मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

IV- श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी (कोटा) के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों को कच्ची बस्ती में शामिल कर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

V- श्री कैलाश भंसाली, सदस्य, विधान सभा, जोधपुर के रिक्तियां भैरूजी चौराहे से झालामण्ड चौराहे के मध्य राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

VI- म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य, विधान सभा, बड़ा राजपुरा, पंचायत-पीथलपुरा, तहसील-बल्लभनगर में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

VII- श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य, विधान सभा, जालोर जिले के रानीवाड़ा खण्ड मुख्यालय पर स्नातक स्तर का कॉलेज खोले जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

4. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>	<u>मुख्य शीर्षक</u>
1.	28	- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम
2.	49	- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन
3.	50	- ग्रामीण रोजगार

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

तौफीक हुसैन हाशमी
उप सचिव (सामान्य)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 23 जुलाई, 2014